राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम
(2021-26)

राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम का पुनर्गठन 14 जुलाई, 2021 को किया गया।

इसका उद्देश्य दूध और दुग्ध उत्पादों की गुणवत्ता बढ़ाने और संगठित खरीद, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और विपणन की हिस्सेदारी को बढ़ाना है।

इस योजना के दो (2) घटक हैं

घटक 'ए'

उद्देश्य

किसान को उपभोक्ता से जोड़ते हुये कोल्ड चेन अवसंरचना सहित गुणवत्तापूर्ण दूध के लिए अवसंरचना का निर्माण करना और मजबूत करना।

कार्यान्वयन एजेंसियां : राज्य सहकारी डेयरी परिसंघ / संघ (सहकारिताओं के लिए), राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (एस एच जी के लिए) और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एम पी सी और एफ पी ओ के लिए)।

गतिविधियां/घटकः

1. **बल्क मिल्क कूलर :** दुग्ध उत्पादकों से प्राप्त होने के तुरंत बाद दूध को ठंडा करने के लिए और किसानों को बाजार तक पहुंच प्रदान करने तथा दूध खराब होने को कम करने के लिए ग्राम स्तर पर स्थापित किए जाएंगे।
2. **दुग्ध परीक्षण प्रयोगशालाएं :** दूध परीक्षण और किसानों को भुगतान में पारदर्शिता लाने और उपभोक्ताओं को सुरक्षित दूध और दूध उत्पाद उपलब्ध कराने के लिए ग्राम और डेयरी संयंत्र स्तर पर दूध परीक्षण सुविधाओं को मजबूत करना ।
3. **प्रमाणन और प्रत्यायन :** एफ एस एस ए आई नियमों के तहत निर्दिष्ट प्रमाणीकरण और प्रमाण-पत्र के लिए डेयरी संयंत्रों को सहायता प्रदान की जाएगी।
4. **सूचना और संचार प्रौद्योगिकी :** ट्रैसेबिलिटी, गुणवत्ता नेटवर्क विकसित करने के लिए ब्लॉक चेन, एस ए पी, ई आर पी जैसे सॉफ्टवेयर सिस्टम के लिए सहायता प्रदान की जाएगी।
5. **प्रशिक्षण और जागरूकता :** डेयरी किसानों, डेयरी कर्मियों, डी सी एस / बी एम सी कर्मचारियों आदि को अच्छी स्वच्छता प्रथाओं / अच्छी विनिर्माण प्रथाओं / गुणवत्ता प्रबंधन प्रणालियों आदि पर।
6. **योजना और निगरानी :** परियोजना प्रस्ताव तैयार करने की लागत को पूरा करने के लिए, क्षेत्र स्तरीय निरीक्षण, समीक्षा बैठकों, दस्तावेजों आदि सहित निगरानी।
7. **अनुसंधान एवं विकास :** नए उत्पादों के विकास के लिए, प्रक्रिया स्वचालन, प्रसंस्करण में किफ़ायती प्रौद्योगिकी, जैव-अवक्रमणीय पैकेजिंग प्रौद्योगिकी, ट्रेसिबिलिटी सिस्टम विकास आदि।

फंडिंग पैटर्न : सभी घटकों के लिए (100% के साथ आर एंड डी, आईसीटी, प्रशिक्षण और किसानों की जागरूकता के सिवाय) पूर्वोत्तर राज्यों और पर्वतीय राज्यों के लिए 90:10 और अन्य राज्यों के लिए 60:40 और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 100%

घटक 'बी'

सहकारिता के माध्यम से डेयरी- जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (जेआईसीए) ओ डी ए ऋण सहायता परियोजना

उद्देश्य

संगठित बाजार में किसानों की पहुंच बढ़ाकर दूध और डेयरी उत्पादों की बिक्री में वृद्धि करना, डेयरी प्रसंस्करण सुविधाओं और विपणन अवसंरचना का उन्नयन करना और उत्पादकों के स्वामित्व वाली संस्थाओं की क्षमता में वृद्धि करना और उसके द्वारा परियोजना क्षेत्र में दूध उत्पादकों के लाभ को बढ़ाने में योगदान देना

निधियन के स्रोत

कुल परियोजना लागत	: 1568.28 करोड़ रु.
केंद्रीय हिस्सा	: 475.54 करोड़ रु. (30.3%)
जे आई सी ए ऋण	: 924.56 करोड़ रु. (59.0%)
अंतिम कार्यान्वयन एजेंसी का योगदान	: 168.18 करोड़ रु. (10.7%)

कार्यान्वयन एजेंसी : राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एन डी डी बी)

पात्र राज्यः उत्तर प्रदेश और बिहार

पात्र सहभागी संस्थाएं : दुग्ध संघ / दुग्ध उत्पादक कंपनियां / राज्य दुग्ध परिसंघ / बहु राज्य दुग्ध सहकारी समितियां

घटक : दूध खरीद अवसंरचना को मजबूत करना, प्रसंस्करण अवसंरचना को मजबूत करना, विपणन अवसंरचना के लिए समर्थन, आई सी टी के लिए समर्थन, उत्पादकता में वृद्धि - पोषण संबंधी हस्तक्षेपों, परियोजना प्रबंधन और अधिगम तथा प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के माध्यम से।

जे आई सी ए परियोजना के तहत किसानों को अपेक्षित लाभ और रोजगार सृजन के अवसर

- पी ओ आई द्वारा दूध के संग्रह के लिए नए ग्राम स्तरीय संस्थानों के निर्माण के परिणामस्वरूप ग्राम स्तर पर आजीविका के अवसर पैदा होंगे।
- ग्रामीण स्तर पर इलेक्ट्रॉनिक दूध परीक्षण उपकरण (ए एम सी यू) की स्थापना के परिणामस्वरूप दूध बेचने वाले किसानों को अधिक पारदर्शिता और बेहतर मूल्य प्राप्ति होगी।
- ग्राम स्तर पर बल्क मिल्क कूलर (बी एम सी) की स्थापना से, दूध के फटने की घटनाएं कम होंगी।
- छोटे और सीमांत दुग्ध उत्पादकों का सामाजिक-आर्थिक विकास, गरीबी में कमी और महिला सशक्तिकरण।
- दुग्ध उत्पादकों को उनके दूध के लिए उच्च लाभकारी मूल्य मिलेगा क्योंकि पी ओ आई बेहतर व्यवसाय संचालन के कारण अपनी आय का अधिक हिस्सा दूध उत्पादकों को देने में सक्षम होंगे।

इसके अलावा, दूध और दुग्ध उत्पाद विपणन कार्यों के विस्तार के कारण अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होंगे। इससे पी ओ आई द्वारा अधिक खरीद, प्रसंस्करण और विपणन कर्मचारियों की तैनाती, वितरकों की नियुक्ति और शहरी स्थानों में अतिरिक्त दूध बूथों / खुदरा आउटलेट्स को खोलने और ए आई सेवाओं, पशु चिकित्सा सेवाओं आदि जैसी इनपुट डिलीवरी सेवाओं में वृद्धि होगी।

विस्तृत दिशानिर्देशों के लिए विभाग की वेबसाइट **www.dahd.nic.in** को देखें या राज्य पशुपालन विभाग से संपर्क करें।

विवरण के लिए
क्यू आर कोड स्कैन करें

सत्यमेव जयते

पशुपालन और डेयरी विभाग
मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
भारत सरकार